मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. /22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल, दिनांक : /06/2005

आदेश क्र. 21 / जलग्रहण क्षेत्र विकास

प्रति,

1. **कलेक्टर (समस्त)**
   मध्यप्रदेश
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत – समस्त (म.प्र.)
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जनपद पंचायत (समस्त)
4. **परियोजना अधिकारी,**
   मिली वाटरशेड (समस्त़

विषय : जलग्रहण क्षेत्र के सर्वोन्मुखी विकास हेतु लक्ष्य (vision/goal) के निर्धारण के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :

1.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम का क्रियान्वयन गाँव के समग्र एवं समेकित विकास की अवधारणा के अन्तर्गत किया जाता है। जलग्रहण क्षेत्र प्रब्रंधन कार्यक्रम के क्रियान्वयन के फलस्वरूप न केवल रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, अपितु सतही जल का संग्रहण, भूजल संवर्धन, मिट्टी के कटाव पर रोक तथा वानस्पतिक आवरण में वृद्धि भी सुनिश्चित किया जाता है, जिससे ग्रामीणों के लिये स्थायी आय की व्यवस्था होती है। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक विकास के तहत भी विभिन्न मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है। जलग्रहण परियोजनाओं के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण जैसे कई पहलुओं को समेकित कर विकास कार्यों का संपादन किया जाता है।

1.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक गतिविधियों का समावेश होता है। परन्तु जलग्रहण परियोजनाओं का स्वरूप ऐसा है कि प्रत्येक गतिविधि का क्रियान्वयन उपयुक्त समय एवं स्थान पर किये जाने पर ही वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता है। जैसे – यदि हम 'रिज–टू–वैली' सिद्धांत के आधार पर ऊपरी क्षेत्र का उपचार पहले नहीं करके सीधे निचले क्षेत्र में उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन करते हैं तो न सिर्फ निर्मित संरचनाओं में गाद का भराव अधिक होता है, बल्कि मृदा संरक्षण तथा भूजल संवर्धन के भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता हैं। इसी प्रकार सामुदायिक संगठन एवं प्रशिक्षण का भी परियेाजना की नियत अवधि के दौरान क्रियान्वयन करने पर ही वांछित परिणाम प्राप्त हो सकता हैं। यह भी देखा गया है कि गाँव के सामाजिक पहलुओं के विकास के लिए अन्य विभागों एवं योजनाओं से सतत समन्वय की आवश्यकता होती है, परन्तु चूँकि हम पहले से

इसका नियोजन नहीं करते है इसलिए इस दिशा में हमें अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है।

1.3 जलग्रहण परियोजनाओं के अन्तर्गत यह देखा गया है कि गतिविधियों का क्रियान्वयन किसी नियत उद्देश्य या लक्ष्यों की पूर्ति हेतु नहीं किया जाता हैं तथा परियोजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित गतिविधियों की सफलता का आकलन पूर्व की स्थिति की तुलना में हुए प्रभावों के आधार पर किया जाता है, परन्तु इस प्रकार के क्रियान्वयन से जलग्रहण परियोजनाओं के समेकित विकास की अवधारणा की पूर्ति नहीं हो पाती, क्योंकि हम सभी सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण के पहलुओं पर उचित ध्यान देते हुए गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं नियोजन नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा जलग्रहण परियोजनाओं का क्रियान्वयन गाँव में स्थायी आजीविका के सृजन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किये जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए गतिविधियों का नियोजन एवं क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है।

2. लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस के माध्यम से जलग्रहण परियोजनाओं हेतु लक्ष्यों का निर्धारण तथा उसके अनुरूप कार्ययोजना का नियोजन।

2.1 जलग्रहण परियोजनाओं के सर्वग्राही एवं एकात्मक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एवं उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि इन परियोजनाओं के अन्तर्गत लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए तथा उनके अनुक्रम में गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इस प्रकार की आयोजना एवं नियोजन के लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस एक उचित माध्यम है, जिसके माध्यम से आप लक्ष्योन्मुखी आयोजना एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित कर सकेंगे। लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस के तहत निम्न कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना चाहिए :

2.2 लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस

- ✓ **भागीदारी विश्लेषण :** गाँव के विभिन्न समुदाय एवं समूहों की परियोजना से अलग–अलग प्रयोजन एवं स्वार्थ होते हैं। अतः जलग्रहण परियोजना के क्रियान्वयन के पहले यह बहुत जरूरी है कि इनकी अपेक्षाओं एवं समस्याओं की पहचान की जाए, जिससे परियोजना की आयोजना इनको ध्यान में रखते हुए किया जा सके। यह विश्लेषण सहभागी ग्रामीण समीक्षा (पी.आर.ए.) एवं नेट प्लालिंग के माध्यम से किया जा सकता है।
  - ○ **पी.आर.ए.** के माध्यम से गाँव की मूलभूत जानकारी, फलियावार जाति एवं परिवारों की संख्या, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, मिट्टी के प्रकार, पर्यावरण एवं पशुधन की सामान्य जानकारी, महिलाओं की स्थिति आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। विभिन्न समुदाय वर्ग में व्याप्त समस्याओं की जानकारी के आधार पर समुदाय को विभिन्न लाभार्थी समूहों में विभाजित किया जा सकता है, जिससे हमें उन लाभार्थी समूहों की पहचान कर सकते हैं जिन्हें परियोजना के तहत प्राथमिकता दिया जाना है।
  - ○ **नेट प्लानिंग :** नेट प्लानिंग के माध्यम से जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत गाँव के प्रत्येक परिवार का सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें समुदाय के सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए कृषि भूमि, मिट्टी के प्रकार, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, मवेशी, चारा की उपलब्धता आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर गाँव के खसरा नक्शे पर अंकित किया जाता है। इस प्रकार के सर्वेक्षण से गाँव के प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित कर वहाँ के संसाधनों की स्थिति एवं उनसे जुड़ी प्रमुख समस्याओं की

जानकारी प्राप्त की जाती है, जिससे समुदाय की आवश्यकताओं पर आधारित कार्ययोजना का निर्माण किया जा सकता है।

- ✓ **समस्या विश्लेषण :** गाँव के विभिन्न समुदाय एवं लाभार्थी समूहों की समस्या की उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्या वृक्ष का निर्माण करते हुए गाँव की प्रमुख पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं की पहचान की जाती है।

- ✓ **लक्ष्य निर्धारण :** उपरोक्त अवधारणा को ध्यान में रखते हुए जलग्रहण परियोजनाओं के अंतर्गत स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप तथा संसाधनों की बिगड़ी हुई स्थिति की गहनता से अध्ययन कर क्षेत्र के समेकित एवं समग्र विकास हेतु परियोजना की पाँच वर्ष की अवधि के उपरांत प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्यों (vision) का निर्धारण किया जाना चाहिए। यह लक्ष्य किसी भी परियोजना क्रियान्वयन दल का परियोजना को लेकर जो उनके स्वप्न (vision) हैं, उनको समावेश करते हुए निर्धारित किया जाता हैं। यह लक्ष्य निर्धारित करना इसलिए भी आवश्यक है, क्योंकि इससे परियोजना समाप्ति के उपरांत परियोजना के प्रभावों का आकलन लक्ष्यों (vision) की प्राप्ति की तुलना में किया जा सकता है।

- ✓ **उद्देश्य निर्धारण** : जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के अन्तर्गत सर्वांगीण विकास के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन प्राकृतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उद्देश्यों (purposes) को प्राप्त करना है, उनका उल्लेख किया जाना आवश्यक है। परियोजना क्रियान्वयन दल का इन उद्देश्यों पर पूरा नियंत्रण होता है, क्योंकि क्रियान्वयन दल के सदस्यों द्वारा निष्पादित गतिविधियों तथा उनके द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर ही इन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के स्तर का आकलन जिन **"सांकेतकों"** के आधार पर किया जायेगा तथा इन सांकेतकों की किस माध्यम से पुष्टि की जाएगी, उसका निर्धारण भी किया जाना होगा।

- ✓ **परिणाम :** जलग्रहण परियोजना के अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक परिणामों (output) का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि इन परिणामों के आधार पर ही हम परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। इन प्रभावों अथवा परिणामों के लिए परियोजना क्रियान्वयन दल पूर्णतः उत्तरदायी होते हैं। इन परिणामों की प्राप्ति के लिए ही क्रियान्वयन दल को वित्तीय एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। यदि कोई परियोजना क्रियान्वयन दल निर्धारित परिणामों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो इसके दो कारण हो सकते हैं कि या तो उन्होंने गतिविधियों का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया है अथवा परियोजना के आयोजन के समय उनके द्वारा वास्तविक लक्ष्य, उद्देश्य एवं परिणामों का निर्धारण नहीं किया गया। अतः यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि परियोजना के तहत वास्तविक उद्देश्यों एवं परिणामों का निर्धारण किया जाये। इन परिणामों की प्राप्ति के स्तर का आकलन जिन **''सांकेतकों''** के आधार पर किया जायेगा तथा इन सांकेतकों की किस माध्यम से पुष्टि की जाएगी, उसका निर्धारण भी किया जाना होगा।

- ✓ **गतिविधियों का निर्धारण :** जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजना के सर्वांगीण विकास के निहित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, वित्तीय तथा प्रशासनिक गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उपरांत ही वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। गतिविधियों के निर्धारण में परियेाजना के तहत अन्ततः प्राप्त होने वाले लक्ष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिससे उनकी पूर्ति के लिए अन्य विभागों/परियोजना से वांछित समन्वय के लिए गतिविधियों का निर्धारण किया जा सके।

परियोजना के तहत सम्पादित किए जाने वाले भौतिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य गतिविधि जो परियोजना के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक है, जैसे बैठक, अनुश्रवण, सर्वेक्षण, मूल्यांकन आदि को भी शामिल किया जाना होगा। यह चरण परियोजना की सफलता की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी चरण के आदान के आधार पर ही परियेाजना के निर्धारित परिणाम, उद्देश्य एवं लक्ष्य निर्भर करते हैं। अतः परियेाजना क्रियान्वयन दल द्वारा इस चरण में सभी भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, संस्थागत तथा वित्तीय गतिविधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। गतिविधियों का निर्धारण गतिविधि सारणी के माध्यम से किया जाना चाहिए, जिससे वर्ष वार तथा परियोजना अवधि के दौरान सम्पादित होने वाली सभी गतिविधियों को सुव्यवस्थित ढंग से नियोजित किया जा सके। इसके लिए जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के अन्तर्गत भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों की वर्षवार प्रत्येक परियोजना हेतु विस्तृत गतिविधि सारणी तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत एवं निर्देश पत्र क्र. 3687/22/वि–9/आर.जी.एम./2005 भोपाल, दिनांक 18.03.2005 द्वारा भेजा गया था। इस निर्देश को भी इसी आदेश का भाग माना जाए तथा उसके अनुरूप वांछित कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

2.3 लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस के माध्यम से कार्ययोजना का निर्माण उपरोक्त दर्शाए अनुसार जिस प्रक्रिया के अनुसार किया जाना है वह पत्र के साथ संलग्न मेन्युअल में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले से दो मास्टर ट्रेनर इस विषय पर प्रशिक्षित किए जाएंगे। ये मास्टर ट्रेनर आगामी माह से प्रत्येक जिले के सभी परियोजना अधिकारी व परियोजना क्रियान्वयन दल के सदस्यों को इस विषय में प्रशिक्षण देंगे।

2.4 लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस के माध्यम से ''हरियाली मार्गदर्शिका'' के तहत डी.पी.ए.पी. तथा आई.डब्ल्यू.डी.पी. योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2004–05 में स्वीकृत परियोजनाओं हेतु लक्ष्यों का निर्धारण तथा उसके अनुरूप कार्ययोजना का नियोजन सुनिश्चित किया जाना है तथा वर्ष 2003–04 में स्वीकृत परियोजनाओं के कार्ययोजना को इसी पद्धति के आधार पर पुनरीक्षित किया जाना है।

3. परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन :

3.1 लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस के माध्यम से तैयार कार्ययोजना में लक्ष्य, उद्देश्य तथा परिणामों के लिए 05 वर्ष की परियोजना अवधि एवं प्रत्येक वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाले प्रतिफल के लिए निर्धारित सांकेतकों का सारांश निर्धारित प्रपत्र में तैयार किया जाना होगा। इस प्रपत्र के आधार पर ही परियोजना का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। अतः इस प्रपत्र की एक प्रति जिला स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा राज्य स्तर पर मिशन मुख्यालय को प्रेषित किया जाना होगा। यह प्रपत्र नीचे दर्शाया गया है, जिसमें 500 हेक्टेयर की परियोजना के तहत वांछनीय (typical) लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। यह अपेक्षित है कि परियोजना क्रियान्वयन दल कम से कम इन वांछनीय (typical) लक्ष्यों को प्राप्त करें। इन वांछनीय (typical) लक्ष्यों से ज्यादा की प्राप्ति परियोजना क्रियान्वयन दल की योग्यता एवं निपुणता का परिचायक होगा।

गतिविधि ⟶ परिणाम ⟶ उद्देश्य

कारण – प्रभाव

परिणाम सांकेतक	उद्देश्य सांकेतक	लक्ष्य सांकेतक
भौतिक		
• परियोजना क्षेत्र के लगभग 80 प्रतिशत	• कृषि, निस्तार एवं अन्य सुविधाओं की	• गाँव में सभी प्रकार

क्षेत्र में जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाओं के माध्यम से उपचार कार्य। • 100 प्रतिशत पहाड़ी क्षेत्र का मृदा एवं नमी संरक्षण के कार्यों के माध्यम से उपचार। • गाँव के 100 प्रतिशत पुराने जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाओं का जीर्णोद्धार। • गाँव के 100 प्रतिशत नदी–नालों पर पानी रोकने वाली संरचनाओं का निर्माण। • गाँव के 90 प्रतिशत कुओं एवं नलकूपों का रिचार्ज। • 80 प्रतिशत किसानों द्वारा खेत में कुण्डी, कुईया, डबरा–डबरी का निर्माण। • 90 प्रतिशत शासकीय सामुदायिक भूमि पर चारागाह विकास। • 30 क्विंटल चारा उत्पादन। • 80 प्रतिशत घरों मे वर्षा जल संरक्षण की तकनीकों का उपयोग। • 80 प्रतिशत सतही जल संग्रहण संरचनाओं में लिफ्ट एरीगेशन की सुविधा। • 80 प्रतिशत किसानों द्वारा उन्नत कृषि यंत्र एवं तकनीक का उपयेाग। • 80 प्रतिशत किसानों द्वारा सूखे से प्रतिरोधक क्षमता वाले बीजों का उपयोग। • 60 प्रतिशत किसानों द्वारा जैविक खेती को अपनाना। • 30 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी विकास • 5 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि वानिकी विकास • गाँव का कम से कम 25 हेक्टेयर में जैट्रोफा की खेती। • गाँव में बायो–डीजल के प्रसंस्करण	आवश्यकता का 100 प्रतिशत पूर्ति। • कुओं, नलकूपों एवं हैंडपंप में वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित। • बरसात के मौसम में बहने वाले नदी–नालों में वर्ष भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित। • गाँव की कुल कृषि भूमि का 90 प्रतिशत खरीफ के अन्तर्गत रोपित • गाँव की कुछ कृषि भूमि का 80 प्रतिशत रबी के अन्तर्गत रोपित • 40 प्रतिशत एक फसली क्षेत्र का द्वि–फसली क्षेत्र में परिवर्तन। • खरीफ के अन्तर्गत 70 प्रतिशत खेत सिंचित। • रबी के अन्तर्गत 60 प्रतिशत खेत सिंचित। • खरीफ की फसल की उत्पादकता में 10 प्रतिशत वृद्धि। • रबी की फसल की उत्पादकता में 10 प्रतिशत वृद्धि। • क्रापिंग पैटर्न में परिवर्तन। • फसल के अन्तर्गत क्षेत्र एवं तीव्रता ;पदजमदेपजलद्ध में वृद्धि। • 50 प्रतिशत कृषकों द्वारा उन्नत बीज एवं कृषि उपकरण व पद्धति का उपयोग। • दुग्ध उत्पादन में 20 प्रतिशत बढ़ोतरी। • पड़त भूमि में 70 प्रतिशत कमी। • कृषि के माध्यम से आय में 30 प्रतिशत वृद्धि।	की सुविधाओं जैसे निस्तार, पीने, सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित। • गाँव में असमय सूखे से लड़ने की पर्याप्त क्षमता का विकास। • गाँव में कृषि की उत्पादकता एवं उससे होने वाले आय में ईष्टतम वृद्धि।
आर्थिक	**आर्थिक**	
• गाँव में 5 स्व–सहायता समूहों का गठन। • 2 महिला बचत एवं साख समूहों का गठन। • सभी समूहों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन। • गाँव के 70 निर्धन एवं सीमांत किसान के परिवार लाभान्वित। • सभी स्व–सहायता समूहों की नियमित मासिक बैठक। • सभी स्व–सहायता समूहों की नियमावली तैयार। • सभी स्व–सहायता समूहों का बैंक में खाता।	• गाँव की महिलाओं, भूमिहीन तथा निर्धन किसानों की माह में रु. 2,000 की औसत आमदनी। • साहूकार से ऋण लेने में 80 प्रतिशत की कमी। • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में 50 प्रतिशत की कमी। • गाँव के गरीबों की सम्पत्ति में वृद्धि। • मजदूरी की खोज में गाँव से पलायन करने वाले परिवारों में 80 प्रतिशत की कमी। • बैंक में खोले जाने वाले बचत खातों में बढ़ोत्तरी। • महिलाओं में आर्थिक स्वायत्तता एवं	• गाँव की महिलाओं, भूमिहीन तथा निर्धन किसानों की आय में वृद्धि एवं जीवनयापन के स्तर में सुधार। • गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में कमी।

• स्व–सहायता समूह की वर्ष में रुपये 3000 की औसत बचत। • सभी स्व–सहायता समूहों को एक वर्ष उपरांत आयमूलक गतिविधियों से जोड़ा गया। • स्व–सहायता समूहों के उत्पादों के लिए माह में एक हाट/बाजार में विपणन की व्यवस्था। • एक वर्ष उपरांत सभी स्व–सहायता समूहों को संघ के रूप में जोड़ा गया। • सभी स्व–सहायता समूहों को अन्य योजना एवं बैंको से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। • स्व–सहायता समूहों को हस्तशिल्प विकास गतिविधियों से जोड़ा गया। • स्व–सहायता समूहों को डेयरी की गतिविधि से जोड़ा गया। • गाँव मिल्क रूट पर स्थित है। • स्व–सहायता समूहों को चारागाह विकास, डेयरी, पोलट्री, लाख, रेशम, सब्जी उत्पादन, रतनजोत खेती, औषधीय फसलों के विकास, खाद्य प्रसंस्करण की गतिविधियों से जोड़ा गया।	आत्मनिर्भरता में बढ़ोतरी। • गाँव के गरीबों का कौशल उन्नयन। • गाँव के गरीबों की गैर–कृषि आय में बढ़ोतरी।	
सामाजिक	**सामाजिक**	
• गाँव के सभी 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्राथमिक शाला में दाखिला। • गाँव के सभी अनपढ़ प्रौढ़ के लिए सायंकाल स्कूल की व्यवस्था। • गाँव के सभी लड़कियों को उनकी शिक्षा के स्तर के अनुरूप प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूल में दाखिला। • गाँव के प्राथमिक शाला के सभी बच्चों हेतु आयरन तथा डी–वर्मिंग की गोलियों की उपलब्धता सुनिश्चित। • गाँव के सभी बच्चों का टीकाकरण। • गाँव की सभी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण। • सभी बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के लिए प्रत्येक त्रैमास में स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन। • गाँव के सभी इंदिरा आवास योजना के तहत निर्मित घरों में शौचालय। • गाँव में एक सार्वजनिक शौचालय। • गाँव के प्रत्येक फलिया में पीने के लिए एक हैण्डपम्प की व्यवस्था। • स्वच्छता से संबंधित जागरूकता	• गाँव में प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण। • प्राथमिक शाला में बच्चों की उपस्थिति एवं निरंतरता में वृद्धि। • गाँव की साक्षरता दर में 10 प्रतिशत की वृद्धि। • गाँव में बच्चों के स्वास्थ एवं पोषण के स्तर में सुधार। • गाँव के नवजात बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में 90 प्रतिशत कमी। • गाँव के बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य के स्तर में सुधार। • गाँव में स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता। • गाँव में गन्दगी से फैलने वाली बीमारियों में कमी। • गाँव में सामाजिक बुराईयाँ जैसे शराब, दहेज प्रथा, जुँआ, महिला उत्पीड़न आदि में कमी।	• गाँव में शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य, सड़क आदि मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित • सामाजिक चेतना एवं जागरूकता में वृद्धि।

शिविर का वर्ष में दो बार आयोजन। • 80 प्रतिशत घरों में धुंआ रहित चूल्हा/बायोगैस के माध्यम से खाना बनाना। • गाँव के 90 प्रतिशत पुरूष शराब का सेवन नहीं करते है। • गाँव में एक भी बाल–विवाह नहीं होता है। • गाँव में 50 प्रतिशत विवाह बिना दहेज की माँग के सम्पन्न हुई। • गाँव बारमासी सड़क से जुड़ा है।		

4. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर विकास कार्यों के स्वरूप को विकसित करने के लिए अन्य कार्यक्रमों से संयोजन :

4.1 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के कार्यक्रमों नामतः सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम एवं एकीकृत पड़त भूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के दौरान ''रिज टू वैली'' सिद्धांत के आधार पर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाता है। परन्तु यह देखा गया है कि ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं जैसे संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज की योजना के तहत गांव में जल संरक्षण व संवर्धन तथा सूखे से निपटने के लिए क्षमता के विकास के अंतर्गत एकल जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। परन्तु इस प्रकार की गतिविधियों से इन योजनाओं की मूल अवधारणा एवं उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती है।

4.2 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर उपचार गतिविधियों का क्रियान्वयन ''रिज टू वैली'' के सिद्धांत के आधार पर ऊपरी/पहाड़ी क्षेत्र से शुरू होकर नीचे की ओर किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मूल भावना यह रहती है कि ऊपरी क्षेत्र में गिरने वाले पानी को वहीं पर रोक कर/उसकी गति को कम करके भू–जल संवर्धन के साथ–साथ उसके साथ बहने वाली मिट्टी के कटाव को भी कम किया जाये। नीचे के क्षेत्र में पानी के संरक्षण व संवर्धन हेतु संरचनाएं बनायी जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खेत की मिट्टी खेत में बनी रहती है तथा गांव का पानी गांव में बना रहता है। यदि ऊपरी/पहाड़ी क्षेत्र में इन गतिविधियों का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है तो नीचे के क्षेत्र में निर्मित होने वाले जल संरक्षण व संवर्धन संरचनाओं में गाद/मिट्टी का भराव अधिक होता है तथा उनके टूटने का खतरा भी अधिक हो जाता है। अतः राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना तथा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत जल संरक्षण व संवर्धन तथा सूखे से निपटने (ड्राउट प्रूफिंग) की श्रेणी के अंतर्गत गतिविधियों की आयोजना, चयन एवं क्रियान्वयन ''रिज टू वैली'' सिद्धांत के आधार पर इस प्रकार सुनिश्चित करें कि गांव में विभिन्न परियोजना जैसे निस्तार, सिंचाई, पेय जल एवं अन्य सुविधिाओं के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा साथ ही गांव में सूखे के किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए भी क्षमता का विकास हो सके। इन योजनाओं के तहत गतिविधियों के नियोजन के समय उपरोक्त दर्शाये अनुसार लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस के माध्यम से गतिविधियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले परिणाम, उद्देश्य एवं लक्ष्यों के साथ–साथ उन सांकेतकों का भी स्पष्ट निर्धारण सुनिश्चित करें जिसके आधार पर संपादित गतिविधियों के आधार पर प्राप्त होने वाले परिणामों एवं उद्देश्यों की पुष्टि की जा सके।

4.3 जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के अंतर्गत ''रिज टू वैली'' के उपचार को जो सिद्धांत माइक्रोवाटरशेड/गांव पर लागू होता है वहीं सिद्धांत मिलीवाटरशेड पर लागू होता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि किसी मिलीवाटरशेड के अंतर्गत सभी माइक्रोवाटरशेडों का उपचार किया जाता हैं तो उससे उस क्षेत्र में पानी के नियोजन की इष्टतम व्यवस्था की जा सकती हैं तथा इस प्रकार के उपचार का परिणाम किसी मिलीवाटरशेड के अंतर्गत दो–तीन माइक्रोवाटरशेड के उपचार से कही अधिक होता है। किसी भी मिलीवाटरशेड के अंतर्गत सबसे पहले पहाड़ी/ऊपरी क्षेत्र (Recharge Zone) में बसे हुए गांवों का चयन किया जाना है। उसके बाद बीच के क्षेत्रों (Transit Zone) में बसे हुए गांवों को और आखिर में निचले क्षेत्र (Discharge Zone) में बसे हुए गांवों को चयनित किया जाना चाहिए। साथ ही क्षेत्र के चयन में इस बात का भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रत्येक जोन में सन्निहित (Contiguous) गांवों को ही चयनित किया जाए। परन्तु अक्सर यह देखा गया है कि किसी मिलीवाटरशेड के अंतर्गत माइक्रोवाटरशेड/गांव का चयन इस आधार पर नहीं किया जाता है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी होता है कि डी.पी.ए.पी. तथा आई.डब्ल्यू. डी.पी. योजनाओं के तहत इतनी परियेाजनाएं स्वीकृत नहीं की जाती हैं जिससे की किसी मिलीवाटरशेड के अंतर्गत सभी माइक्रोवाटरशेड को उपचार हेतु चयनित किया जा सके। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना अथवा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत उपलब्ध आवंटन के माध्यम से उन गांवों/माइक्रोवाटरशेडों को चयनित किया जा सकता है, जो डी.पी.ए.पी. तथा आई.डब्ल्यू. डी.पी. योजनाओं के तहत चयनित नहीं किये जा सकें हैं।

जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन में शामिल होने वाले विभिन्न अवयवों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तरीय कार्ययोजना निर्माण के लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क एनालेसिस एक उपयुक्त माध्यम है, जिसके द्वारा जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन के निहित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समग्र विकास के लिए कार्य योजना का सफलता पूर्वक निर्माण किया जा सकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस दिशा में सार्थक प्रयास करते हुए प्रत्येक परियोजना की कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्य, उद्देश्य तथा परिणामों के सांकेतकों के सारांश की एक प्रति निर्धारित प्रपत्र में मिशन मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(वसीम अख्तर)
सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

म.प्र. शासन